न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 206/2022

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. केसरी पत्नी खींयाराम 2. खींयाराम पुत्र दाखुराम 3. गंगाराम पुत्र पोकरराम 4. गुदडराम पुत्र सेवाराम 5. गिरधारीराम पुत्र गोरधनराम 6. छेलाराम पुत्र हुकमाराम 7. बींजाराम पुत्र सेवाराम 8. मांगीलाल पुत्र सेवाराम (जाति मेघवाल, निवासी मालावास, तह. पीपाडशहर, जिला जोधपुर)		1. उगमाराम पुत्र रामसुख 2. रेखाराम उर्फ रेखचन्द पुत्र रामसुख (जाति मेघवाल निवासी मालावास, तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर) 3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड शहर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर राजस्व प्रार्थना पत्र 359/2020 दिनांक 29.01.2021

उपस्थित–

1. श्री जगदीश प्रजापत, वकील अपीलाण्ट
2. श्री बांकाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांक 21.05.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर तहसील पीपाड शहर के ग्राम मालावास स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 349 रकबा 1.5371 हैक्टर भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी करवाने हेतु विप्रार्थी–केसरी वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.21 द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड शहर को दोनो पक्षों की उपस्थिति में ख0नं0 349 की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना प0 मय श0प0 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम मालावास के खसरा नं0 348 पर काबिज एवं खातेदार है। जिसके पडौस में रेस्पा0सं0 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नं0 349 के मध्य सींव माठ बनी हुई है। जिस पर बडे–बडे पेड़ वक्त सेटलमेंट से खडे है। जिस पर कब्जे की नीयत से रेस्पो0सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन एवं नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा एतराज प्रस्तुत करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 ग्राम मालावास स्थित खसरा नं0 349 की सह–खातेदारी भूमि का सीमांकन व नेखमबंदी करवाना चाहते है। उक्त खसरान की उत्तरी माठ के अन्दर प्रार्थीगण का कुआ खुदा हुआ है। अप्रार्थीगण उत्तरी माठ को खुर्द बुर्द कर कुएं को अपने खसरान में मिलाने को आमदा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं0 1 से 8–अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मौका फर्द दिनांक 10.1.22 के अनुसार खसरा नं0 349 की पैमाईश की गई, जिसमें पडौसी खसरान 348 व 341 का कब्जाकाश्त रेस्पो0 के खसरा नं0 349 पर होना बताया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि मौका रिपोर्ट/फर्द दिनांक 10.1.22 से साबित है कि रेस्पो0सं0 1 व 2 के वादग्रस्त खसरा नं0 349 की उत्तरी माठ के अन्दर कुआ खुदा हुआ है व उक्त खसरान की भूमि में पडौसी खसरान 348 व 341 के खातेदार/सह–खातेदारों का कब्जा काश्त है, जबकि जमांबदी संवत् 2075–78 के अनुसार खसरा नं0 349 की भूमि रेस्पो0 सं0 1 व 2 की सह–खातेदारी में दर्ज है। अतः इस मामले में भूमि पर कब्जे हटाने का प्रश्न सीमाज्ञान और पत्थरगढी से तय नही किया जा सकता है। व्यथित पक्षकार सक्षम न्यायालय में बेदखली का दावा पेश कर चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 359/2020 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक २५ मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

29/05/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर